ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-2*March- 2018
Innovation The Research Concept

सूचना का अधिकार कानून एवं इसको प्रभावी बनाने के उपाय

सारांश

वर्तमान में विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र शासन प्रणाली लागू है। इस प्रणाली को सफलता बनाने के लिए प्रशासन में उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, प्रशासनिक पारदर्शिता, संवेदनशीलता व जवाबदेहिता आवश्यक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण आयाम है– सूचना का अधिकार। सूचना प्रौद्योगिकी के रूप दौर में लोकतन्त्र को सफल बनाने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था मूलतः ब्रिटिश विरासत का परिणाम रही है। इसलिए गोपनीयता भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में भी हावी रही है। साक्षरता और राजनीतिक समझ के अभाव में, गोपनीयता के घने आच्छादन में प्रजातंत्र की शक्ल ओढ़कर अस्वस्थ व्यवस्था की हुकूमत का चलन बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र की आस्था, ताकत और सहयोग का अभाव प्रजातंत्र को मजबूत और प्रभावी बनने नहीं देता। भ्रष्ट्राचार और दायित्वहीनता की जहरीली घास इतनी बढ़ जाती है कि राष्ट्र समाज के और प्रजातंत्र के पौधे बौने पड़ जाते हैं, और अन्त में सूखकर मुरझा जाते हैं।

मुख्य शब्द : सूचना का अधिकार, लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली।

रवीना
शोध छात्रा,
राजनीति शास्त्र विभाग,
जय नारायन व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान

प्रस्तावना

लम्बी दासता के बाद 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वन्त्र हुआ व एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश का उदय हुआ। जिसमें संविधान को सर्वोपरि रखकर विधि के शासन को प्रमुखता दी गई। जिसमें पारदर्शिता और सरकारी तंत्र की जवाबदेही की मानसिकता वाला शासन और प्रशासन अपनाने की दिशा में हम अग्रसर हुए। जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जाती है तो वहॉ पर उस देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करना भी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आवश्यक भाग माना गया है ताकि शासन में नागरिकों की सहभागिता से हमारा प्रजातंत्र सफल है।

लोकतंत्र का मूलतंत्र ही जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। सही अर्थों में लोकतंत्र तभी सार्थक है जबकि जब शासन–प्रशासन को देश और राज्य की जनता के प्रति अधिकाधिक जवाबदेह बनाया जा सके। सूचना का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। इस प्रशासन में उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, संवेदन शीलता विकसित करने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है।

गांधी जी ने कहा था कि हमारा पूर्ण स्वराज का सपना तो तब पूर्ण होगा जब देश के गांव की चौपाल पर न्याय पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के साथ जनता को मिले। सूचना, जानकारी, परीक्षण, निरीक्षण इसी और संकेत करते हैं कि बिना अपने परिवेश आदि को जाने जीवन यापन और संघर्ष की कामयाबी को सोच बेकार है।

सूचना का अधिकार व्यक्ति गरिमा सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों या जन प्रतिनिधि के लिए इस अधिकार का चाहे जो अर्थ है, किन्तु भारत के गांवों के बाशिंदों के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है। दिन भर सरकारी निर्माण कार्यों में काम करते मजदूर के लिए यह पूरी मजदूरी का प्रश्न है। ग्रामीण जनता जानना चहती है कि उसके गांव की सड़क हैण्डपम्प के लिए जा पैसा आया था, उसका क्या हुआ? शहरी नागरिकों के लिए चिकित्सालय, रोजगार पेयजल और सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी जीवन जीने जुड़ी हो। यह आम आदमी की गरिमा का सवाल है।[1]

इसलिए सूचना का अधिकार, 2005 आम जनता को एक जनशक्ति प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हुआ और उसके अब तक के परिणाम काफी उत्साहपूर्वक रहे हैं। आलोचकों का मत

है कि सूचना का अधिकार गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करता है। साथ ही आलोचक इस बात से सहमत हुए हैं कि सूचना का अधिकार पोस्टमार्टम का काम करता है कि इससे बीमारी का कारण पता लगाकर भावी समस्याओं से बचा जा सकता है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार के मार्ग में प्रतिरोधक का काम करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

आज के समय में सूचना का अधिकार रूपी एक जरिया जो आमजन को सुविधा दे रहा है तथा इस टेक्नोलॉजी के दौर मे सुविधाजनक बनता जा रहा है। वर्तमान युग को सूचना प्रधान युग कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी। आज के भ्रष्टाचार वाले समाज मे पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार एक अहम भाग है।

सूचना का अधिकार अर्थ

वर्तमान युग को 'सूचना प्रधान युग' कहा जाता है, जिसमें सूचनाओं के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है। सूचना का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। सूचना का अधिकार, 2005 की व्याप्ति और गहराई का निर्देश करते हुए इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है–'हमारे संविधान में प्रजातांत्रिक गणराज्य का सृजन किया है इसलिए, प्रजाजन की जागरूकता और पारदर्शक सूचना प्रणाली प्रजातांत्रिक कार्यों में ईमानदारी और प्रभाव लाकर सरकार के अंग–उपांगों में दायित्व भावना लाना कारगर प्रजातंत्र की बुनियाद है इसलिए भी और प्रत्यक्ष व्यवहार में सूचना का प्रकटीकरण सरकार के प्रभावी संचालन व सीमित वित्तीय या स्तर संसाधन आदि के उचित प्रयोग तथा संवेदशील जानकारी की आवश्यक गोपनीयता के बारे में विवाद उठ सकता है इस कारण, प्रजातंत्र की आदर्श गरिमा और उक्त परस्पर विरोधी हितो के बीच संतुलन रखते हुए।

अब यह जरूरी है कि प्रजातंत्र को मनचाही जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान किय जाये–संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सन् 2004 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक तैयार किया, जिसे 11 मई, 2005 को लोकसभा व 12 मई को राज्यसभा को स्वीकृति प्रदान कर दी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिनॉक 15 जून, 2005 को इसने कानून का रूप ले लिया। इसके कतिपय प्रावधान 15 जून से ही लागू हो गये। जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गया।

वर्तमान युग सूचना प्रधान युग है और इसमें समाज का वर्गीकरण भी सूचनाओं के आधार पर होता है। रविन्द्रनाथ ने बड़ी सुन्दर पंक्तियों द्वारा लिखा है कि 'सूचना और ज्ञान हमें भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाता है।[2] सूचनाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि 21वीं सदी में वहीं जातियॉ अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ होगी जो सूचनाओं से लैस होगी। सूचनाओं की इसी महत्ता ने सूचना के अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया।

लोकतंत्र में सूचनाओं की पहुॅच आम आदमी तक होना आवश्यक है सूचना को लोकतंत्र की ऑक्सीजन कहा जाता है।[3]

राबर्ट चैम्बर्स ने अपनी पुस्तक 'रूरल डेवलपमेन्ट पुटिंग व लास्ट फार्स्ट' के प्रथम अध्याय 'रूरल पावर्टी इनपर्सिब्ड' में एक जगह लिखा है कि ऑखे जिसे देख नहीं पाती, उसके लिए दिल नहीं रोता।[4]

श्री चैम्बर्स उन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसमें कोई काम सम्पन्न होता है। यदि हमें उन परिस्थितियों की जानकारी नहीं है तो हमें दुख भी नहीं होगा। अतः यदि हमें वास्तविक परिथितियॉ ज्ञात हो तो हम वास्तविक दर्द को भी समझ सकते हैं सूचना का अधिकार भी उन परिस्थतियों को जानने की मॉंग करता है जो सामन्यतयाः दिखाई नहीं देती है या दिखाई नहीं जाती।

लोकतंत्र विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्थाओं में से एक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था सें जनता को यह पूछने का अधिकार होना चाहिए कि वह क्या, क्यों और कैसे कार्य सम्पन्न कर रही है। सार्वजनिक धन जनता की धरोहर है नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि धन कहॉ और कैसे खर्च होता है। सूचना का अधिकार जनता के इसी जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

लोकतंत्र में शासन प्रशासन उस लोकतांत्रिक देश के लिए होता है। हम शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। सारा सरकारी काम हमारे लिए हमारे ही पैसों से होता है। यह काम जरूरतों के अनुसार हो इसके लिए हमें काम की पूरी–पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसे ही सूचना का अधिकार कहते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने एक बार सूचना का अधिकार की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि ''लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए सूचना का अधिकार जरूरी है। अगर सरकार यह अधिकार जनता को नहीं देती तो देश की आजादी खतरे में पड़ सकती है।[5]

लोकतंत्र जनता का शासन है। अतः किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी जनता की भागीदारी हो सकती है, जबकि उसके पास इस सम्बन्ध में सूचना हो। इस आवश्यकता ने सूचना का अधिकार की अवधारणा को जन्म दिया। अर्थात् लोगों की यह जानने का हक होना चाहिए कि उनके बारें में तथा उनके नाम पर किसके द्वारा और कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं? इस प्रकार सूचना का अधिकार सीधे तौर पर लोकतंत्र की न्यूनतम आवश्यकता है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक–2013

राजनीतिक दलो को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने अगस्त 2013 को सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया तथा तद्नुसार 12 अगस्त, 2013 को सूचना का अधिकार विधेयक, 2013 लोकसभा में प्रस्तुत किया।

इस संशोधन विधेयक में सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव है। जिसके द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि व्यक्तियों के समूह या

संघ जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत या मान्यता प्राप्त है, उन्हें लोकप्राधिकरण (Public Authorities) नहीं माना जाएगा। केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने तीन जून, 2013 के आदेश में छः राष्ट्रीय दलों प्राधिकरण माना था। यह संशोधित अधिनियम 3 जून 2013 से प्रभावी माना जाएगा। संशोधन विधेयक में यह भी विधान में यह किसी अदालत अथवा आयोग का आदेश जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्तर को प्रभावित नहीं करेगा।[6]

सूचना का अधिकार का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव

1. सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद प्रत्येग विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड के रख–रखाव में पारदर्शिता बढ़ी है।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वर्षों से चलायी जा रही, जनकल्याणकारी योजनाओं मनरेगा, मिड–डे –मिल, स्वास्थ्य एवं निर्माण कार्यों आदि, क्षेत्रों में कई वर्षों से हो रही अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं।
3. इस कानून ने शासन प्रशासन तंत्र को सुशासन की ओर बढ़ने के लिए प्ररित किया है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास मे सूचना का अधिकार कानून उन चंद कानूनों में से है जिसमें देश आम जनता को उसकी सत्ता और संप्रभुता की ताकत का अहसास कराया है।
4. सूचना का अधिकार कानून ने नागरिकों की भाषा बदल दी है,जब कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग में वर्षों से लम्बित अपने जायज कामों के सम्बन्ध में सीधे सवाल पूंछ रहे है, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिसाब मॉग रहे हैं कि उनका काम क्यों नहीं हुआ किस अधिकारी की लापरवाही से मेरा नुकसान हुआ, उस अधिकारी को क्या सजा मिलेगी?
5. आज सूचना का अधिकार कानून केवल भ्रष्टाचार से लड़ने में ही सहयोगी साबित नहीं हो रहा है,बल्कि व सच्चाई को सामने लाने के लिए भी सबसे प्रभावी उपकरण बन रहा है।
6. इस कानून के बनने के बाद ईमानदार अधिकारी खुश है क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण पहले वे कई बार अपनी सही राय नहीं रख पाते थे, अब उनकों मौका मिला है कि अपनी राय ईमानदारी से रख सकते हैं।
7. यह कानून जवाबदेही से भागते पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पता करने सें लेकर, जनहित का व्यापक नुकसान करने वालों की पहचान में मददगार रहा है, जनता ने अपनी जरूरत के हिसाब से इस कानून का प्रयोग किया।
8. इस कानून के बन जाने के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर शासन–प्रशासन के कार्यों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता की संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।
9. इस कानून के बन जाने के बाद लोगों के रोजमर्रा के छोटे–छोटे काम जैसे राशन कार्ड, बिजली का कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस जॉब कार्ड आदि कार्य बड़ी आसानी से हो रहे हैं।
10. अब उन प्रत्येक सांवैधानिक संस्थायें एवं गैर सरकारी संस्थायें जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, आदि का सूचना अधिकार कानून के प्रति जवाबदेही होगी।
11. राजनीति के अपराधीकरण व अपराधों के राजनीतिकरण को रोकने व स्वच्छ राजनीति के नए युग की शुरूआत करने में यह कानून महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।[7]

सूचना का अधिकार (आर टी आई) कानून के चलते आए दिन हो रहे नये रहस्योद्घाटनों से वाकिफ सरकार अब इस पर लगाम कसने की फिराक में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने 12 अक्टूबर, 2012 को थोड़ा घुमाकर इस आशय का संके किया। उनका कहना है कि अगर आर0 टी0 आई0 कानून से किसी की निजता का उल्लंघन होता है तो निश्चित रू॰ से इसकों नियंत्रित किया जाना चाहिए। इस पर लगाम कसा जाना चाहिए। पीएम ने इस कानून के बेतुके और ओछे इस्तेमाल पर भी गहरी चिंता जताई।[8]

मनमोहन सूचना आयुक्तों के सातवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री के अनुसार सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच. पर्याप्त संतुलन की जरूरत है। निजता का मामला भी संविधान प्रदत मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यदि आरटीआई के तहत मिली जानकारी से किसी की निजी गोपनीयता भंग हो रही है।

सूचना का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बिना सूचना अथवा जानकारी के सही व उचित उम्मीदवार का चयन नहीं हो सकता है। अतः वर्तमान में लोकतंत्र में आ रहे संकट को दूर करना है तो सूचना के अधिकार को सही रूप में क्रियान्वित करना होगा। जानने का अधिकार ही लोकतंत्र का सार है यह बात समाज के सभी वर्गों को अपने मन में धारण करनी होगी।

अधिनियम की धारा 8 में उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचनाऐं नहीं दी जायेगी। भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, न्यायालय की अवमानना से सम्बन्धित अथवा संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि लोक हित से जुड़ा विषय हो तो सूचना प्रकट की जा सकेगी। निःसन्देह राष्ट्र की सुरक्षा अथवा देश की एकता और अखण्डता संवेदनशीलता का मामला है और इस संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त कर राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा सकता है।

निष्कर्ष

अतः जरूरत इस बात की है कि अधिनियम की धारा 8 को लचीला बनाया जाये और राष्ट्रहित को सही ढंग से परिभाषित करते हुए समग्र लोकहित से जुड़े विषयों परसूचना देने से इंकार नहीं किया जाये।

सूचना का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और यदि इसे ईमानदारी और पवित्र इरादों के साथ लागू

किया गया तो यह भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा।

सूचना का अधिकार जनता के सशक्तिकरण का प्रतीक है। लंकिन इसकी सफलता उसकों करने वालों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। प्रशाासन के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा कॉच का भवन है जिसमें सम्पन्न हो रही गतिविधियों को जनता आसानी के साथ देख सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस कॉच पर गोपनीयता रूपी पर्दे लगा दिये गये हैं। अब इन्हें हटाने की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *ड़ा रूपा मंगलानी 'जन का शासन जन की मुस्तैदी' राजस्थान पत्रिका रविवारिय परिशिष्ट, 23 अक्टूबर 2005।*
2. *अरूणा तय, निखिल डे, जहॉ भयरहित विचार हो'–डायमण्ड इण्डिया जून–जुलाई 2005 (संयुक्तांक)*
3. *प्रकाश कुमारत्र के0 बी0 राय, राइट टू नो, नई दिल्ली विकास पब्लिशर्स हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पेज संख्या 1।*
4. *मोहित भट्टाचार्य–लोक प्रशासन के नये आयाम, नई, दिल्ली, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 2003, पेज संख्या 268*
5. *डायमण्ड पत्रिका, जून जुलाई 2005 (संयुक्तांक) पेज संख्या 26*
6. *प्रतियोगिता दर्पण/अक्टूबर/2013/518 पेज संख्या*
7. *प्रतियोगिता दर्पण/नवम्बर/2013/749 पेज संख्या*
8. *दैनिक जगरण, 12 अक्टूबर 2012 पेज संख्या।*